भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16062023-246626 SG-DL-E-16062023-246626

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 15, 2023/ज्येष्ठ 25, 1945

रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 93

IN. C. T. D. No. 93

No. 1771

DELHI, THURSDAY, JUNE 15, 2023/ JYAISHTHA 25, 1945

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह(सा.) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 जून, 2023

फा. सं. 9/95/2019/गृह (सा.)/1676-82.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिवतयों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 28 मार्च 2014 की अधिसूचना सं० फा० 9/06/2013/गृह (सा0)/1770-78 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप-अधीक्षक, ग्रेड-II के पद हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :- (1) इन नियमों को दिल्ली कारागार उप-अधीक्षक, ग्रेड-II भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान:- उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन रतर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- 3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :--वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा

की है; या

(ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा की है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचावः—इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	उप–अधीक्षक, ग्रेड–II
2.	पदों की संख्या	:	49* (2023)
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, राजपत्रित समूह 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44,900-1,42,400/- रुपये)
5.	क्या चयन मेरिट द्वारा अथवा वरिश्ठता	:	चयन पद
	सह चयन अथवा गैर चयन पद है		
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	लागू नहीं
	आयु सीमा		.44.600 / 0.01 was kai.
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से	1	लागू नहीं
	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता		
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के	:	लागू नहीं
	लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं	. 3	
	आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारा		
	पर भी लागू होगी।		
9.	परिवीक्षा की अवधि (यदि कोई है)		लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या		100% पदोन्नति द्वारा
	प्रतिनियुक्ति / पदोन्नति / समावेशन		
	द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे		
Part	जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत		
11.	यदि	:	पदोन्नति :
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन		नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में
	द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिन से		05 (पांच) वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6
	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन		(35,400— 1,12,400 / — रूपये) में सहायक अधीक्षक।
	किया जाना है		टीप 1:—जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता

			सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नित के लिए विचारणीय है। उनके विरष्ट अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अविध के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध अपने किनष्ट अधिकारियों के साथ सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?		समूह 'ख' विभागीय पदोन्नित समितिः 1. वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार— अध्यक्ष 2. प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य 3. ए.आई.जी (कारागार), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य 4. विषेष / अपर सचिव (सा.प्रषा.वि.),राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य
	+ upperpart from a fit -> for		टीप :—यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति के किसी भी अन्य सदस्य से किनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति/स्थायीकरण समिति का विस्छतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिरिथितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	•	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष लेना आवष्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, के आदेश से और उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप-सचिव(गृह), गृह (सामान्य) विभाग

HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 14th June, 2023

F. No. 9/95/2019/Home(G)/1676-82.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/06/2013/Home(G)/1770-78 dated 28th March, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make rules for the post of **Deputy Superintendent**, **Grade-II** in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely:-

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Delhi Prisons Deputy Superintendent, Grade-II Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and scale of pay The number of the said post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of Recruitment, age-limit, qualification etc., The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications- No Person:-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to Relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	NUMBER OF POSTS.	CLASSIFICATION.	LEVEL IN THE PAY MATRIX	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Superintendent, Grade-II	49* (2023) * Subject to variation dependent on workload	General Central Services Non- Ministerial Group "B"	LEVEL 7 (Rs. 44900 -Rs. 142400) in the pay matrix.	Selection	Not Applicable	Not Applicable

AGE AND EDUCATION AL QUALIFICA TION PRESCRIBE D FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEE S.	PERIOD OF PROBATI ON, (IF ANY).	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION /PROMOTION/ABS ORPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIESTO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATI ON/ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATI ON/ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSITION.	CIRCUMSTA NCES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSIO N TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUITME NT.
(8) Not applicable	· (9)	(10)	(11)	(12)	(12)
Тосаррпсаріє	applicable	100% by promotion	Promotion: Assistant Superintendent in the Level 6 (Rs. 35400-Rs. 112400) of the pay matrix with 05(five) years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Note 1:- Where junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for	Group 'B' Departmental Promotion Committee: Financial Commissioner, GNCTDChairman. Administrative Secretary, GNCTDMember. AIG(Prisons), GNCTDMember Special /Addl. Secretary (GAD), GNCTDMember	Consultation with UPSC not necessary.

such qualifying/eligibility

service.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secretary (Home), Home (General) Department